शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 जनवरी 2022
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

सन 1857 से पूर्व अलीगढ़ जनपद का संक्षिप्त इतिहास

डॉ. सुधीर कुमार शर्मा
प्रोफेसर, इतिहास
महात्मा गोपालाराम महाविद्यालय,
अन्ता, बांरा, राजस्थान, भारत

शोध संक्षेप

वर्ष 1857 के अन्त तक अलीगढ़ जनपद में विद्रोह का स्वरूप अत्यन्त उग्र और व्यापक हो गया था। यद्यपि इस विद्रोह का प्रारम्भ सैनिकों ने किया था, तथापि विद्रोह के प्रारम्भ होने के पश्चात् अलीगढ़ जनपद की जनता और जन नेता भी इसमें सक्रिय रूप से सम्मिलित हो गए थे। उनकी उग्र और हिंसक गतिविधियों ने सरकार के सम्मुख गम्भीर चुनौती तथा अनेकों समस्यायें उत्पन्न कर दी थीं। विद्रोह के उग्र और व्यापक स्वरूप को देखकर अलीगढ़ जनपद के तत्कालीन जिलाधीश मि. वाट्सन को जिला मुख्यालय छोड़कर भागना पड़ा और उसे अपने जीवन की सुरक्षा के लिए आगरा में शरण लेनी पड़ी । नवम्बर, 1857 के पश्चात् अंग्रेजों ने अलीगढ़ जनपद के हाथरस खेर, मंडराक, इगलास अकराबाद, अतरोली, सिकन्दराराऊ, आदि विभिन्न क्षेत्रों में सैनिक बल के द्वारा विद्रोह के दमन का प्रयास किया। लगभग एक वर्ष तक निरन्तर संघर्ष करने के पश्चात् नवम्बर 1858 में सरकार को अलीगढ़ जनपद के विद्रोह का दमन करने में सफलता प्राप्त हो सकी थी । इस प्रकार मई, 1857 से दिसम्बर, 1858 की अवधि में अलीगढ़ जनपद के लगभग सभी क्षेत्र विद्रोह की आग में जलते रहे। जिन विद्रोही नेताओं ने इस जनपद में विद्रोह का नेतृत्व किया था उनमें खैर के राव भोपालसिंह गहीन के जाटनेता अमानी सिंह अकराबाद के मंगलसिंह व मेहताब सिंह सिकन्दराराऊ के गौस मोहम्मद खाँ, रामघाट (अतरौली) के रहीम अली, गंगीरी के इस्माइल खाँ के साथ-साथ मौलवी अब्दुल अजीज तथा नसीमुल्ला खाँ के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त अंग्रेज कप्तान मरे की घुड़सवार सेना के नायक किसनसिंह ने अंग्रेजी सत्ता के विरूद्ध विद्रोह करके अलीगढ़ जनपद में विद्रोहियों को महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया था।

कूट शब्द - *जनपद, पौराणिक, बोधिसत्व, विद्रोह, परगनों।*

प्रस्तावना

अलीगढ़ जनपद के वर्तमान स्वरूप की रचना अंग्रेजों के शासनकाल में की गई थी। इस जनपद के प्रारम्भिक इतिहास के क्रमबद्ध विवरण के लिए, पर्याप्त और प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। पौराणिक दृष्टि से इस जनपद का मुख्य नगर 'कोल' एक पुरातन स्थान माना जाता है। एक किंवदन्ती के अनुसार तृतीय युग में कुशराव ने कौशाम्बी के नाम से इस नगर की स्थापना की थी।[1] किन्तु हिन्दू पुराणों में कौशाम्बी के विषय में उल्लिखित विवरण के आधार पर कोल व कौशाम्बी की समता संदिग्ध प्रतीत होती है। रामायण के अनुसार त्रेता युग में सूर्यवंशी राजा कुश के पुत्र कुशाम्ब ने कौशाम्बी नगरी की स्थापना की थी।[2] यह स्थान प्रयाग से तीस मील पश्चिम दिशा में यमुना नदी के बायें किनारे पर स्थित था।[3] इसके खण्डहर उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद में कोसमा गाँव के नाम से प्रसिद्ध है।[4] भौगोलिक दृष्टि से यह स्थान कोल से बहुत दूर स्थित है।

शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका 17 जनवरी 2022
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

समीक्षा

द्वापर युग में श्रीकृष्ण के भाई बलराम ने इस स्थान पर कोल नामक असुर का वर्ध किया था। उसकी स्मृति में इस स्थान का नाम कोल रखा गया। इस मान्यता की पुष्टि के लिए भी प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। पुरातत्व संग्रहालय मथुरा में कुषाणकालीन चार वस्तुएं सुरक्षित हैं, जिन्हें कोल, लाखनू तथा सासनी के निकटवर्ती स्थानों की खुदाई में प्राप्त किया गया था। इनमें से सर्वाधिक आकर्षक बोधिसत्व की एक प्रतिमा है जो 6 फुट 4 इंच लम्बी है और उसका सिर तथा दाहिनी भुजा कटी हुई है। इस मूर्ति पर 35 शक संवत (113 ई॰) तिथि अंकित है।[5] इस प्रमाण के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कोल बौद्ध धर्म के अनुयाइयों का प्रमुख केन्द्र था।

अध्ययन का क्षेत्र

कोल एवं उसके निकटवर्ती क्षेत्र का क्रमबद्ध ऐतिहासिक विवरण मुसलमानों के आक्रमण के समय से प्राप्त होता है। भारत पर मुसलमानों के आक्रमण से पूर्व कोल नगर 'दोर' राजपूतों की राजधानी थी। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय "दोर" राजपूतों की राजधानी थी। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय 'दोर' राजपूतों का मुखिया "बरन" (बुलन्दशहर) का हरदत्त था। बाहरवीं शताब्दी के अन्त तक बरन के राजा ने अपने राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से कोल को एक सैनिक चौकी बना लिया था।[6] सन् 1194 ई॰ में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोल पर अधिकार कर लिया था,[7] तथा उसने हिसामुद्दीन गुल्बक को कोल का गवर्नर नियुक्त किया था।[8]

अध्ययन पद्धति - सन् 1857 के राजनीतिक घटनाक्रम के सम्बन्ध में विगत अध्यायों में किये गये विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अंग्रेज सरकार के विरुद्ध इस विद्रोह का प्रारम्भ फरवरी सन् 1857 में बैरकपुर सैनिक छावनी के सैनिकों द्वारा किया गया था । विद्रोह का तात्कालिक कारण चर्बी लगे कारतूसों की घटना को कहा जा सकता है, जिससे भारतीय सैनिकों को यह सन्देह हो गया था कि अंग्रेज सरकार का उद्देश्य भारतीय सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना था। किन्तु इस घटना के अतिरिक्त इससे पूर्व अनेकों ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो चुकी थीं जिनके फलस्वरूप सरकार के विरूद्ध भारतीय सैनिकों में असन्तोष का सूत्रपात हुआ था। इस प्रकार यद्यपि सरकार की जनविरोधी नीतियों से भारतीय जनमानस भी असन्तुष्ट तथा क्षुब्ध था, तथापि 1857 के विद्रोह को प्रारम्भ करने का श्रेय भारतीय सैनिकों को ही था। बैरकपुर छावनी स्थित 19वीं रेजीमेण्ट के वीर एवं निडर भारतीय सैनिक मंगल पाण्डे ने सरकार की धर्मविरोधी और अनैतिक नीतियों के विरूद्ध विद्रोह करने का आव्हान अपने साथियों से किया । यद्यपि मंगल पाण्डे को फाँसी की सजा देकर तथा उसके कुछ अन्य प्रमुख साथी सैनिकों को अन्य तरीकों से दण्डित करके सरकार ने सैनिकों की आवाज को दबाने का प्रयास किया, किन्तु वह आवाज तो भयंकर ज्वालामुखी का स्वरूप ग्रहण कर चुकी थी, जिसने शीघ्र ही मेरठ, दिल्ली, अलीगढ़ सहित सम्पूर्ण उत्तरी भारत को अपने प्रभाव में ले लिया।

मई, 1857 में चर्बी के कारतूसों को प्रयोग करने से इन्कार करने के अपराध में मेरठ छावनी के 85 सैनिकों का कोर्टमार्शल हुआ और उन्हें बुरी तरह अपमानित करके जेल में बन्द कर दिया गया। उनके हजारों सैनिक साथियों ने जब इस अमानवीय दृश्य को देखा तो उन्हें बड़ा दुःख हुआ

और उन्होंने भी अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। विद्रोह की गति तथा उग्र स्वरूप को देखकर मेरठ के अंग्रेज अधिकारी स्तब्ध रह गये। विद्रोहियों ने जेल में बन्द अपने साथियों को मुक्त कराया, शहर में अंग्रेजों के बंगलों में आग लगा दी और विद्रोह को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से 10 मई की रात में ही उन्होंने दिल्ली के लिए प्रस्थान किया और वे 11 मई को प्रातः काल दिल्ली पहुँच गये।

दिल्ली के विद्रोही नेताओं को मेरठ के विद्रोही सैनिकों के आने की सूचना पहले ही प्राप्त हो चुकी थी, जबकि अंग्रेज अधिकारियों को इस बात की कोई खबर नहीं थी। मेरठ के विद्रोहियों के दिल्ली पहुँचते ही दिल्ली की सेना के भारतीय सैनिकों ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और दिल्ली के मुगल बादशाह बहादुरशाह के नेतृत्व में अंग्रेजी सत्ता को समाप्त करने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। 16 मई, 1857 को दिल्ली के लाल किले पर विद्रोहियों का अधिकार हो गया।

सुल्तान अलाउद्दीन मसूदशाह-बिन-फीरोजशाह के शासनकाल में निज़ाम-उल-मुल्क महज़बुद्दीन कोल का गवर्नर था।[9] उसके अत्याचारों के कारण सन् 1242 में दिल्ली में उसकी हत्या कर दी गई। तत्पश्चात् कोल के वजीर पद पर निज़ामुद्दीन सदर-उल-मुल्क को नियुक्त किया गया था।[10]

सन् 1252 में जलाली एवं कोल में मुस्लिम शासन के विरुद्ध होने वाले विद्रोह का दमन करने का दायित्व सुल्तान नासिरूद्दीन महमूद ने अपनी सेनानायक बलवन को सौंपा था। इस अभियान में बलवन को पूर्व सफलता मिली।[11] अपनी विजय और अपने स्वामी के नाम को चिरस्थायी बनाने के उद्देश्य से बलवन ने कोल में सन् 1253 ई- में एक विजय स्तम्भ का निर्माता कराया था।[12] बलवन के राज्यारोहण के उपरान्त इस विजय स्तम्भ (मीनार) के निर्माण और मरम्मत कार्य का दायित्व उसके सुयोग्य पुत्र मोहम्मद ने भलीभाँति पूरा किया था।[13] बलवन ने कोल की जागीर को मोहम्मद के पश्चात् मोहम्मद शेरंदाज को दे दिया जिसने विद्रोही तुगरिल खाँ के विरुद्ध बंगाल अभियान में सफलता प्राप्त की थी।[14] सन् 1259 में कोल को बयाना और ग्वालियर के साथ मिलाकर ,क राज्य बना दिया गया, जिसका वजीर मलिक मोहम्मद शेर खाँ को नियुक्त किया गया।[15]

जलालुद्दीन फीरोजशाह के शासनकाल में सन् 1290 में मलिक कीकी कोल का गवर्नर था।[16] अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में सन् 1300 ई- में तरगी के नेतृत्व में जब मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था, तब कोल तथा बरन (बुलन्दशहर) में उन्हें पराजित किया गया था। फलस्वरूप वे दिल्ली की ओर बढ़ने में सफल नहीं हो सके थे।[17]

मोहम्मद-बिन-तुगलक के शासनकाल में कोल तथा निकटवर्ती क्षेत्र की स्थिति का ज्ञान इब्नबतूता के विवरण में मिलता है। सन् 1342 में चीन को जाते समय इब्नबतूता कोल से गुजरा था और उसने इस नगर की बहुत प्रशंसा की थी।[18]

कोल के निकट हिन्दुओं ने इब्नबतूता पर प्राणधातक आक्रमण किया था। वह किसी प्रकार अपनी प्राणरक्षा कर सका और गाँव-गाँव भिक्षा माँगकर उसने अपनी भूख को शान्त किया था। कोल से कुछ दूर स्थित तेजपुरा नामक गाँव में सन्त दिलशाद ने उसकी प्राणरक्षा की थी।[19] उसके विवरण से यह भी ज्ञात होता है कि मोहम्मद-बिन-तुगलक के शासनकाल में गंगा व यमुना के मध्य स्थित दोआब की जनता को

अकालों की पुनरावृत्ति व शासक की कठोर नीति के कारण भयानक विपत्तियों का सामना करना पड़ा था।[20]

मोहम्मद-बिन-तुगल्क के उत्तराधिकारी फिरोजशाह ने सन् 1376 ई. में हिसाम-उल-मुल्क तथा हिसामुद्दीन को संयुक्त रूप से कोल तथा अवध का शासक नियुक्त किया गया था।[21] फिरोजशाह की मृत्यु के पश्चात् इस क्षेत्र की स्थिति अत्यन्त निराशाजनक हो गई। सन् 1398 में तैमूर के आक्रमण से कोल तथा अन्य निकटवर्ती स्थान प्रभावित हुए थे। तैमूर की सेना ने कोल के उत्तरी भाग में जन-धन का अत्यधिक विनाश किया था।[22]

तैमूर के आक्रमण के पश्चात् इकबाल खाँ दोआब का वास्तविक शाक बन गया तथा अपनी मृत्यु तक उसने कोल को अपने अधिकार में रखा। सन् 1405 में उसकी मृत्यु हो जाने के बाद इकबाल खाँ के परिवार के ,क सदस्य दौलत खाँ का कोल पर अधिकार हो गया।[23] उस समय सम्पूर्ण देश की राजनीतिक स्थिति अनिश्चित थी। इस अनिश्चितता की स्थिति का अन्त उस समय हुआ जब सन् 1414 में सैयद वंश का प्रथम सुल्तान खिज्र खाँ सत्तारूढ़ हुआ। देश में प्रत्येक स्थान पर राजपूतों में विद्रोह तथा असन्तोश की भावना व्याप्त थी, तथा राजधानी में व्याप्त अराजकता से लाभ उठाकर वे अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर रहे थे। सन् 1418 ई॰ में कोल के विद्रोह का दमन करने के लि, स्वयं खिज्रखाँ वहाँ गया था।[24] सन् 1420 ई॰ में कोल के वजीर ताज-उल-मुल्क को भी इसी प्रकार का कदम उठाना पड़ा था। खिज्रखाँ के पुत्र एवं उत्तराधिकारी मुबारकशाह को भी सन् 1426 ई॰ में कोल एवं अतरोली पर अधिकारी करने के लिए जौनपुर के शासक इब्राहीम शाह के विरूद्ध संघर्ष करना पड़ा, जिसमें उसे सफलता प्राप्त हुई थी। मुबारकशाह की मृत्यु के पश्चात् बहलोल लोदी ने सन् 1445 में कोल व जलाली का प्रशासन ईसाखाँ को सौंप दिया।[25] उन दिनों जलेसर से जलाली तक सम्पूर्ण क्षेत्र पर जौनपुर के शासक मोहम्मद शाह का अधिकार था। इस प्रकार सम्पूर्ण क्षेत्र पर जौनपुर के शासक मोहम्मद शाह का अधिकार था। इस प्रकार ईसाखों ने बहलोल लोदी के राज्य की सीमा पर एक सन्तरी के दायित्व का निर्वाह किया था। बहलोल लोदी के क्षेत्र को जीतने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील बना रहा।

अध्ययन क्षेत्र रिर्पोटिंग व विश्लेषण

दौलतराव सिंधिया से जीते गये सम्पूर्ण क्षेत्र को राजस्व प्रशासन की सुविधा के लिए तीन भागों में विभाजित करने का कार्य इटावा के जिलाधीश आर.कनिंघम, मुरादाबाद के जिलाधिश लेसेस्टर तथा फर्रूखाबाद में कार्यरत गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि सी. रसैल को सौंपा गया था।[26] 3 अक्टूबर सन् 1803 को जारी किये गये इस आदेश में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि विभाजन की यह प्रकिया कमाण्डर-इन-चीफ के अनुमोद के पश्चात् ही पूर्ण समझी जायेगी।[27] कमान्डर-इन-चीफ लॉर्ड लेक को इस सम्पूर्ण क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण और संचालन का कार्यभार सौंपा गया था।[28]

28 अक्टूबर, 1803 को उपर्युक्त तीनों अधिकारियों की वार्ता कोल (अलीगढ़) में प्रारम्भ हुई। उन्होने लॉर्ड लेक को इस सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने इस क्षेत्र को निम्नलिखित चार भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव किया था।[29]

प्रथम भाग

सहारपुर, मुजफ्फर, मेरठ और हापुड़ के निकटवर्ती 53 परगना।

द्वितीय भाग

खुर्जा, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर, शिकारपुर, दादरी, दनकोर, गाजीउद्दीन नगर (गाजिराबाद), गढ़ मुक्तेश्वर एवं निकटवर्ती कुल 30 परगना।

तृतीय भाग

कोल, अतरौली, डिवाई, छर्रा, भमौरी, पिंडरावल, खैर, नौहझील, चण्डोस, बरोली, पीतमपुर, मुर्थल तथा निकटवर्ती कुल बारह परगना।

चतुर्थ भाग

फिरोजबाद, सादाबाद, सहपऊ, खन्दौली, राया, जेवर, मुरसान, मांट, महावन, हसनगढ़, गोरई, हसाइन, हाथरस, जलेसर, सोनर्ह -कुल पन्द्राह परगना।

सन् 1804 ई॰ में उपर्युक्त विभाजन के द्वितीय, तृतीय, तथा चतुर्थ भागों को मिलाकर अलीगढ़ जनपद की संरचना की गई थी।[30] इसके अतिरिक्त अनूपशहर तथा सिकन्दराराऊ की परगनों को क्रमशः मुरादाबाद एवं इटावा जनपदों की सीमाओं से हटकर उन्हें भी अलीगढ़ जनपद में सम्मिलित किया गया था।[31] 1 अगस्त 1804 ई. को सी. रसैल को नवगठित अलीगढ़ जनपद का प्रथम जिलाधीश नियुक्त किया गया था।[32]

परवर्ती पतिवर्तन

सन् 1804 में गठित किया गया अलीगढ़ जनपद प्रशासनिक दृष्टि से एक सुदृढ़ इकाई सिद्ध नहीं हो सका। इसका क्षेत्रफल अनावश्यक रूप से विस्तुत था, जिसके कारण अंग्रेज अधिकारियों को प्रशासनिक असुविधाओं का सामना करना पड़ा। इसके अतिरिक्त जिलाधीश पर भी कार्य का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इस असुविधा और कठिनाई को ध्यान में रखते हुए। बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स[33] ने सन् 1815 में अलीगढ़ जनपद को तीन प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित करने के आदेश निर्गत किये थे। यद्यपि उक्त तीनों इकाईयों को अलीगढ़ जनपद के तत्कालीन जिलाधीश सी. फर्ग्युसन के नियंत्रण में रखा गया था, तथापि उसकी सहायता के लिए बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स के दो सहायक सचिवों- मि. कालवर्ट तथा एस.एम. बुल्डरसन को भी अलीगढ़ भेजा गया था।[34] जिलाधीश सी. फर्ग्यूसन ने इन अधिकारियों को निम्न परगनों की प्रशासनिक देखरेख का दायित्व सौंपा था।[35]

मि. कालवर्ट

अनूप शहर, अकराबाद, गंगीरी, जलाली, जहांगीराबाद, पचलाना तथा सिकन्दराराऊ।

एस. एम. बुल्डरसन

सदाबाद, खंदोली महावन, मांट, फिरोजाबाद, जलेसर, राया, सोनई, सहपऊ तथा लौहझील।

शेष परगनों को जिलाधीश ने अपने नियंत्रण व अधिकार में रखा। यह व्यवस्था भू-राजस्व के संग्रह तथा बन्दोबस्त कार्य को शीघ्र सम्पादित करने के उद्देश्य से की गई थी।

सन् 1816 में किये गये पदिवर्तन के फलस्वरूप अलीगढ़ जनपद का सीमा विस्तार तथा क्षेत्रफल प्रभावित हुआ था। उस वर्ष लिए गए एक महत्वपूर्ण निर्णय के अनुसार फिरोजाबाद खंदौली तथा सहपऊ के परगनों को आगरा जनपद में हस्तांतरित कर दिया गया तथा कासगंज तहसील विलराम, विलराम, सोरों, फेजपुर तथा मारहरा परगना का आधा भाग को इटावा जनपद से हटाकर अलीगढ़ जनपद में सम्मिलित कर दिया गया।[36] दो वर्ष पश्चात् सन् 1820 में अलहढ़ जनपद के उत्तरी क्षेत्र के सात परगनों को मेरठ जनपद में मिला दिया गया।[37]

सन् 1824 में कुछ नवीन जनपदों का गठन किया गया जिसका प्रभाव अलीगढ़ जनपद की

सीमा तथा क्षेत्रफल पर पड़ा था। सम्पुर्ण कासगंज तहसील जिसे सन् 1816 में इटावा जनपद से हटाकर अलीगढ़ जनपद में सम्मिलित किया गया था। को नवगठित बदायूँ जनपद में मिला दिया गया।[38] इसी प्रकार डिबाई, शिकारपुर, अनूपशहर, खुर्जा, जहांगीराबाद, अहमदगढ़ परगनों तथा पीतमपुर परगना के आधे भाग को बुलन्दशहद जनपद में सम्मिलित कर दिया गया।[39] सादाबाद, सिकन्दराऊ, महावन, मांट, सोनई, राया, जलेसर तथा नौहझील के परगनों को नवगठित मथुरा जनपद में मिला दिया गया।[40]

इस प्रकार सन् 1824 में किये गये परिवर्तनों के फलस्वरूप अलीगढ़ जनपद के सीमा विस्तार तथा क्षेत्रफल में पर्याप्त कमीं आ गई थी। आगामी कुछ वर्षों में किये परिवर्तन प्रशासनिक दृष्टि से विशेष महत्वपुर्ण नहीं थे। सन् 1828-29 में अलीगढ़ जनपद के दो परगनों - चंडौस तथा सोमना को बुलन्दशहर जनपद में मिला दिया गया, किन्तु दो वर्ष बाद इन परगनों को पुनः अलीगढ़ जनपद में ही सम्मिलित कर दिया गया।[41] सन् 1832-33 में सिकन्दराराऊ परगना को मथुरा जिले से हटाकर अलीगढ़ जनपद में सम्मिलित किया गया था।[42] इसी प्रकार सन् 1854 में बरौली परगना के सत्रह गॉवो और बतरौली परगना के एक गॉव को अलीगढ़ जनपद से हटाकर बुलन्दशहर जनपद में मिला दिया गया।[43] सन 1857 के विद्रोह से पूर्व अलहगढ़ जनपद की भौगोलिक स्थिति में अन्य कोई परिवर्तन नहीं किया गया था।

भौगोलिक स्थिति एवं सीमा-विस्तार -

भौगोलिक दृष्टि से अलीगढ़ जनपद 270-290 तथा 280-110 उत्तरी तथा 770-290, व 780-380 पूर्वी देशान्तर पर स्थित है।[44] इस जनपद की आकृति विषयम षटभुजाकार है। अलीगढ़ जनपद आगरा मण्डल के सभी जनपदों आगरा, मथुरा, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद तथा महामायानगर में एक महत्वपूर्ण जनपद माना जाता है। आगरा मण्डल के प्रशासन का दायित्व मण्डलायुक्त पर होता है, जिसका मुख्यालय आगरा में स्थित है। सामान्य प्रशासन एवं राजस्व व्यवस्था के कुशल सम्पादन हेतु अलीगढ़ जनपद को छः तहसीलों कोल, हाथरस, इगलास, अतरौली, खैर, सिकन्दराऊ में विभाजित किया गया था।45 किन्तु महामयानगर जनपद की संरचना के पश्चात् अब अलीगढ़ जनपद में पांच तीसीलो ही कार्यरत हैं। 1857 के विद्रोह से पूर्व सभी छः तहसीलांे को निम्नलिखित परगनों में विभाजित किया गया था।

तहसील	परगना
1. कोल	कोल, बरौली, मुर्थल
2. हाथरस	हाथरस, मुरसान
3. इगलास	गोरई, हसनगढ़
4. अतरौली	उतरौली, गंगीरी
5. खैर	खैर, टप्पल, चंडौस
6. सिकन्दराऊ	सिकन्दराराऊ, अकराबाद

आगरा मण्डल के सर्वाधिक उत्तरी क्षेत्र को समाविष्ट करने वाला अलीगढ़ जनपद गंगा और यमुना नदियों के ऊपरी दोआब में स्थित है। इस जनपद की उत्तर-पूर्व दिशा में बह्ने वाली गंगा नदी ने कुछ मील दूर तक अलीगढ़ जनपद को बदायूँ जनपद से पृथक कर दिया है जबकि उत्तर पश्चिम दिशा में यमुना नदी ने अलीगढ़ जनपद तथा हरियाणा प्रान्त के गुड़गॉव जनपद के मध्य विभाजन रेखा खींच दी है। अलीगढ़ जनपद की उत्तर दिशा में बुलन्दशहर जनपद की अनूपशहर और खुर्जा तहसीलें स्थित हैं, जबकि पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम दिशा में मथुरा जनपद की मांट, महावन और सादाबाद तहसीलें

शब्द–ब्रह्म
E ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका 17 जनवरी 2022
पीअर रीव्यूड रेफ्रीड रिसर्च जर्नल

हैं। इसी प्रकार अलीगढ़ जनपद के पूरब और दक्षिण-पूरब में एटा जनपद की जलेसर, एटा तथा कासगंज तहसीलें हैं ।

उपर्युक्त व्याख्या के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अलीगढ़ जनपद ऐतिहासिक एवं भौगोलिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जनपद है। प्राचीन काल से अंग्रेजों के शासनकाल तक यह जनपद विभिन्न राजनैतिक गतिविधियों का केन्द्र बिन्दु रहा था।

निष्कर्ष

अलीगढ़ जनपद में 1857 के विद्रोह से सम्बन्धित सम्पूर्ण घटनाक्रम का अध्ययन करने के पश्चात् निष्कर्ष के रूप में निम्नलिखित बिन्दुओं को रेखांकित किया जा सकता है -

(1) अन्य स्थानों की भाँति अलीगढ़ जनपद में भी 1857 के विद्रोह का प्रारम्भ सैनिकों द्वारा ही किया गया था। बैरकपुर छावनी के सैनिकों ने इस विद्रोह को प्रारम्भ किया, मेरठ छावनी के सैनिकों ने उसकी गति को तीव्र किया और उसके पश्चात् विद्रोह की ज्वाला ने शीघ्र ही सम्पूर्ण उत्तरी और मध्य भारत को अपनी चपेट में ले लिया। उस समय अलीगढ़ में नौ नम्बर देशी पलटन के सैनिकों की चार कम्पनियां तैनात थीं। अलीगढ़ के तत्कालीन जिलाधीश मि० वाट्सन ने इन सैनिकों को अन्य जनपदों में फैले हुए विद्रोह के प्रभाव से दूर रखने का पूरा प्रयास किया, किन्तु उन्हें अपने प्रयासों में तनिक भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकी।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1 जे.आर.हचिंसन, अलीगढ़, स्टेटिस्टिक्स, रूड़की, 1856, पृष्ठ 1

2 श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण (प्रथम भाग), गीता प्रेस गोरखपुर, अध्याय 32, पृष्ठ 3-6

3 शान्तिकुमार नानूराम व्यास, रामायणकालीन संस्कृति, नई दिल्ली, 1971, पृष्ठ 332

4 विद्याभूषण भारद्वाज, चतुरसेन के उपन्यासों में इतिहास का चित्रण, मेरठ, 1972, पृष्ठ 65

5 एच.आर.नेविल, डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स ऑफ द यूनाइटेड प्रॉविन्सेज ऑफ आगरा ,एण्ड अवध, खण्ड छः (अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट) इलाहाबाद, 1909, पृष्ठ 161

6 एस.एम. सिद्दीकी, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्टः, हिस्टोरीकल सर्वे, नई दिल्ली, 1981, पृष्ठ 30

7 मोहम्मद हबीब एण्ड के.ए.निजामी (सम्पादक), कॉम्प्रीहैन्सिव हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, जिल्द 5, 'द दिल्ली सल्तनत', नई दिल्ली, 1970, पृष्ठ 167

8 इलियट एण्ड डाउसन, 'द हिस्ट्री ऑफ इण्डियाज टोल्ड वार्ड इट्स ओन हिस्टोरियन्स', जिल्द 2, इलाहाबाद, 1964, पृष्ठ 222 पर उद्धृत, हसन निजामी कृत ताज-उल-मासिर में ऐबक की कोल विजय का वर्णन इस प्रकार है।

He took 'kol' which is one of the most celebrated fortresses of hind. Thoses of the garrison who were wise were converted to islam, but those who stood by their ancient and chiefs of the state entered the fort, and carried off much treasure and countless plunder] including one thousand horse

9 एस.एम.सिद्दीकी, पूर्व उद्धृत पृष्ठ 48

10 मोहम्मद हबीब एण्ड के.ए.निजामी, पूर्व उद्धृत, पृष्ठ 250-251

11 इलियट एण्ड डाउसन, पूर्व उद्धृत जिल्द 2, पृष्ठ 343

12 ई.टी.,टकिंसन, स्टेटिस्टीकल एण्ड हिस्टोरीकल एकाउन्ट ऑफ अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट, इलाहाबाद, 1875 पृष्ठ 485

This building was built suring the reign of the great sultan, the owner of the neck of natioins, nasir-id-din wa-id-din] the king of the kings] the protector of people of the faith, the heir of the kingdom of sulaiman

may god perpetuare his kingdom and his rule ! by order of the learned great malik Azam kutlugh khan. Baha -il-hal wa-id -din the malik of the malike of the east and of china, balban; the shamsi. Diring the days of his governorship rajab as 652 17th august 1253 ad

13 ई॰ टॉमस - क्रातिकल्स ऑफ द पठान किंग्स ऑफ देहली, लन्दन, 1871, पृष्ठ 129

14 एस.एम.सिद्दीकी- पूर्व उद्धृतपृष्ठ 54

15 तारीख-ए-फिरोजशाही इलियट एण्ड डाउसन- पूर्व उद्धृत जिल्द तीन, पृष्ठ 117

16 ई.टी. एटकिंसन - पूर्व उद्धृत पृष्ठ 486

17 इलियट एण्ड डाउसन, पूर्व उद्धृत जिल्द तीन, पृष्ठ 538

18 मो-हबीब एण्ड के.ए.निजामी, पूर्व उद्धृत पृष्ठ 369

19 मेंहदी हुसैन(अनुवादक), द रेहला ऑफ इब्नबतूता, बड़ौदा, 1953, पृष्ठ 152-153

Then we set out from bayana, and reached the city of koil. It is a handsome city possessing gardens. Most of the trees are mange trees.

20 मेंहदी हुसेन(अनुवादे) - द रेहला ऑफ इब्नबतुता, बड़ौदा, 1953 पृष्ठ 152-153

21 मेंहदी हुसैन, पूर्व उद्धृत (प्रस्तावना), पृष्ठ 56

22 मो.हबीब एण्ड के.ए.निजामी, पूर्व उद्धृत पृष्ठ 535

23 एच.आर.नेविल, पूर्व उद्धृत पृष्ठ 166

24 ई.टी.एटकिंसन, पूर्व उद्धृत पृष्ठ 487

25 एच.आरनेविल, पूर्व उद्धृत पृष्ठ 166

26 रेग्यूलेशन 9, 1805, सेकन 1, वंगाल रेग्यूलेंशन्स, जिल्द-1, पूर्व उद्धृत, पृष्ठ 770

27 यूनाइटेड प्रॉविन्सेज, एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट {1911-1912}, इलाहाबाद, 1912 पृष्ठ 11

28 इटावा, मुरादाबाद और फर्रूखाबाद उन सात जिलों में से तीन जिले थे, जिनके अन्तर्गत अवध के नवाब वजीर द्वारा ईस्ट इण्डिया कम्पनी को समर्पित किए गए भू-भाग को विभाजित किया गया था। अन्य चार जनपद थे- इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर और बरेली।

29 देखिए, एच.आर.नेविल, पूर्व उद्धृत पृष्ठ 122

30 जे.आर. हचिंसन पुर्व उद्धृत पृष्ठ 13

31 लॉर्ड लेक के लिए लॉर्ड वेलेजली का पत्र दिनांक 30 सितम्बर, 1803 ई', "डिसपेचेज मिन्स एण्ड कॅरिस्पोन्डेन्स ऑॅफ वेलेजली, जिल्द तीन, लन्दन, 1836, पृ.सं. 369

32 ग्राण्ट डफ - हिस्ट्री ऑफ मराठज, जिल्द तीन, लन्दन, 1826, पृष्ठ 247

33 ई.टी.,टकिंसन - पूर्व उद्धृत पृष्ठ 348

34 रेग्यूलेशन 9, 1804, सेक्शन-3, बंगाल रेग्यूलेशन्स, जिल्द ,क, लन्दन, 1854, पृष्ठ 75

35 च.आर.नेविल - पूर्व उद्धृत पृष्ठ 14,

36 डब्लयू.एच. स्मिथ - पूर्व उद्धृत पृष्ठ 53

37 समर्पित किये गये तथा जीते गए क्षेत्रों में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की उत्तराधिकारी संस्था जिसका गटन रेग्यूलेशन , 1807, अनुसार किया गया था।

38 देखिए - रेग्यूलेशन, 1807, बंगाल रेग्यूलेशन्स जिल्द दो, पूर्व उद्धृत पृष्ठ 62-63

39 डब्ल्यू.,च.स्मिथ - पूर्व उद्धृत पृष्ठ 60

40 प्रोसीडिंग्स कमिश्नर्स, नं. 16, दिनांक 31 दिसम्बर, 1816

41 सिकन्दराबाद, तिलबेगमपुर, दनकौर, कसना, बरन, मालागढ़ तथा मलिकपुर के परगनों को मेरठ जनपद में सम्मिलित किया गया था-"प्रोसीडिंग्स कमिश्नर्स 19, दिनांक 4 अगस्त, 1818 - प्रोसीडिंग्स कमिश्नर्स नं. 8, दि. 17 मार्च, 1815, नं. 17, दिनांक 5 नवम्बर, 1816, तथा नं. 17, दिनांक 8 मार्च, 1816

42 डब्लयू.,च.स्मिथ - पूर्व उद्धृत पृष्ठ 56

43 जे.एम.सिद्दीकी - पूर्व उदधृत पृष्ठ 171

44 प्रोसीडिंग्स, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वेस्टर्न प्रॉविन्सेज, बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स की उत्तधिकारी संस्था, नं. 12, दि. 27 अप्रैल, 1824

45 जे.आर.हचिंसन - पूर्व उद्धृत पृष्ठ 21